आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
06/08/2019		

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा

विविध सीलिंग वाद संख्या– 07/1998

हरिहर प्रसाद राम पिता स्व० रघुबीर राम, राघवेन्द्र गुप्ता पिता रामचन्द्र गुप्ता, सा० गम्हरिया, प्रभु नारायण मेहता पिता अनन्त लाल मेहता, जनार्दन चौधरी, पिता स्व० राम कृष्ण चौधरी, खुशी लाल यादव पिता– सोनेलाल यादव, सत्यदेव यादव पिता शुकल यादव सा० बभनी भेलवा, कृष्णबल्लभ यादव पिता स्व० अचमित यादव, बजरंगी मंडल पिता स्व० छोटी मंडल एवं श्रीमति लूटनी देवी पित मानिक यादव थाना सिहेंश्वर जिला– मधेपुरा– **प्रथम पक्षगण**

बनाम

राज्य वो अनन्त नारायण झा, जय नारायण सा० बभनी थाना सिहेंश्वर जिला–मधेपुरा– **द्वितीय पक्षगण**

–: आदेश :–

बिहार गजट असाधारण अंक सं० 710 दिनांक 02 सितम्बर 2016 के द्वारा बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) संशोधन अधिनियम 2016 (बिहार अधिनियम 18, 2016) की कंडिका 04 के अनुसार बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम 1961 की धारा 45 बी० को निरसित कर दी गई है। कंडिका 5 के अनुसार अधिनियम 1961 की धारा 45 "ग" के बाद एक नई धारा 45 **"घ"** जोड़ा गया है। संशोधित नई धारा 45 **"घ"** में उल्लेख है कि :–

संशोधित अधिनियम की धारा –45 "घ" :– " इस अधिनियम की धारा 45 "बी" के निरसन के पश्चात् राज्य सरकार अथवा बिहार भूमि न्यायाधिकरण में लंबित कार्यवाही उपशमित समझी जायेगी तथा निरसित धारा 45 "बी" के अधीन प्रारंभ की गई कार्यवाही तथा समाहर्त्ता के समक्ष लंबित कार्यवाही भी उपशमित हो जायेगी।"

प्रश्नगत वाद में भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम 1961 की धारा 45 बी० के अधीन कार्यवाही चल रही थी, संशोधित अधिनियम 2016 के आलोक में उपशमित हो गई है।

अतएव संशोधित अधिनियम की धारा –45 "घ" में निहित प्रावधान के आलोक में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

ह० –
अपर समाहर्त्ता,
मधेपुरा।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

ह० –
अपर समाहर्त्ता,
मधेपुरा।

डी०बी०नं०................../न्याया०........................./2019

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, गम्हरिया एवं सिहेंश्वर को आदेश की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को निम्न आदेश की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० –
अपर समाहर्त्ता,
मधेपुरा।

डी0बी0नं0.....362.....न्याया0..06—8....../2019

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सूचना विज्ञान केन्द्र, समाहरणालय, मधेपुरा को Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता,
मधेपुरा।